राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	महेश जांगिड बनाम जगदीश प्रसाद 1111/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. की तामील पूर्ण होने के पश्चात भी रेस्पो. की और से कोई उपस्थित नही आये। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16/08/2024 पारित करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/06/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/05/2025 को अपीलार्थी ने मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/06/2025 पारित करते हुए रेस्पो. संख्या 1 की हद तक अन्तरिम आदेश को निरस्त फरमा दिया गया। रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/06/2025 की आड़ में अपीलार्थी के हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बैचान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को यह धारित करते हुए ख़ारिज फरमा दिया कि विवादग्रस्त भूमि के मौके पर अपीलार्थी काबिज नही है तथा अपीलार्थी रिकार्डेड खातेदार नही है, जबकि वास्तविकता में विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के मकान व बोरिंग बने हुए है तथा विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी 50 वर्षो से काबिज काश्त है। विवादग्रस्त भूमि के खाते में जगदीश व मोती का नाम अंकित है परन्तु इस नाम से गाँव में कोई व्यक्ति नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों एवं क़ानूनी प्रावधानों का अध्ययन एवं मनन किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/06/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को विवेचित/विश्लेषित करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के	3/9/25 कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर •

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

महेश जांगिड बनाम जगदीश प्रसाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सूचित कर दिनांक 26/09/2025 को उनकी सुनवाई करते हुए व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण कर युक्तियुक्त एवं विवेचनात्मक आदेश पारित करे | तब तक न्यायहित में दोनों पक्ष विवादग्रस्त भूमि की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे | पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/09/2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

3/9/25

कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर